

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION



#OPERATIONCONVICTION

#AMETHIPOLICE



एडीजीसी श्री वेद
प्रकाश शर्मा



पैरोकार हे०का०
मनोहर लाल

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० महोदय द्वारा चलाये जा रहे Operation Conviction अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पुलिस पार्टी पर बम से हमला करने वाले अभियुक्त को मा० न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000 रु० अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

अपराध का विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.01.1999 को वादी के ऊपर बम से हमला करने पर मु०अ०सं० 13/1999 धारा 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना अमेठी जनपद अमेठी पर पंजीकृत कराया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके माननीय न्यायालय सुलतानपुर में सशक्त प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी जिसके फलस्वरूप दिनांक 30.06.2025 को माननीय न्यायालय एसजे-01 सुलतानपुर द्वारा अभियुक्त को **05 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 रु० अर्थदण्ड** की सजा सुनायी गयी। अभियुक्त को सजा दिलाने में अभियोजन अधिकारी व पैरोकार का सराहनीय योगदान रहा।

सजा का विवरण:-

- ☐ अभियुक्त को **05 वर्ष का कठोर कारावास**।
- ☐ अभियुक्त को **5,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास**।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-

- सोनू सिंह पुत्र राम सिंह निवासी सरवन थाना व जनपद अमेठी।



@amethipolice



सोशल मीडिया सेल
अमेठी